न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः–68 / 2018 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः–2018 / 00101

उनवान

1. मदन पुत्र छोटानाथ
2. मुरारी पुत्र छोटानाथ
3. जगदीश नाथ निवासी बाढ बिच्छीदौना तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलांटगण।

बनाम

1. मोहन पुत्र छोटानाथ
2. रामप्रसाद पुत्र कालू
3. मुकेश पुत्र कालू
4. टीकाराम पुत्र कालू
5. भोला पुत्र गोपाल
6. जेएन पुत्र गोपाल
7. विकम पुत्र गोपाल
8. ग्राम पंचायत बिच्छीदौना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिच्छीदौना पंचायत समिति बौली जिला सवाई माधोपुर।
9. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
10. तहसीलदार, तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
11. हल्का पटवारी बिच्छीदौना पटवार हल्का दोनायचा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

...रेस्पोडेन्टगण।

उपस्थितः–

1. श्री धीरेन्द्र पाल सिंह अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री उमाशंकर शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01।
3. श्री रघुनन्दन सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 07।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 17.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी जिला मलारना डूंगर में दायर राजस्व वाद संख्या 42/2017 बउनवान मदन वगैरह बनाम मोहन वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 एक ही परिवार के सदस्य हैं। साबिक खसरा नंबर 16 रकबा 10 बीघा हाल खसरा नंबर 91 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 94 रकबा 2.52 है0, कुल किता 02 कुल रकबा 2.53 वाके ग्राम बाढ बिच्छीदौना पटवार हल्का दोनायचा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर मे स्थित है, जो वादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की पुश्तैनी आराजीयात है। जिसमें सभी के हक हकूक निहित है एवं सभी काश्त काबिज चले आ रहे है। अतः अनुतोष चाहा कि उक्त विवादित आराजीयात मे वादी का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 का 1/4 हिस्सा घोषित किए जाकर विधिवत बंटवारा किया जावें। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब मे कथन किया कि उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 के दत्तक पिता बदरी की स्वअर्जित आराजीयात है जिस पर केवल प्रतिवादी संख्या 01 का हक है।

तत्पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0 पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित एक वाद संख्या 582/01 उनवानी कालू बनाम बदरी अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बौंली मे वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है। उक्त निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे बहाल रहा, परन्तु वादी द्वारा तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करते हुए यह वादपत्र पेश किया गया है। इस कारण धारा 11 सी0पी0सी0 से बाधित होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद पत्र खरिज किया जावें।

मातहत अदालत ने दिनांक 08.06.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी0पी0सी0 के अनुसार रेस्जूडीकेटा होने के कारण खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आदेश दिनांक 08.06.18 मातहत अदालत पूर्णतया आरबेट्रेरी हैं। मातहत अदालत ने जैर अपील निर्णय पत्रावली पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य के विपरीत विधि विरूद्व तरीके से पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है एवं जैर आदेश बिना पक्षकारों की तलबी कराए मनमाने तरीके से पारित किया है। मातहत अदालत ने अपीलार्थी वादी मदन का हिस्सा 1/4, अपीलांट संख्या 02 व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का हिस्सा 1/4 व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 का 1/4 हिस्सा की घोषणा खातेदारी की जैर आराजीयात बाबत पेश कियाग या कि जैर आराजीयात पर अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्टगण 01 ता 07 अपने बुजुर्गो के समय से काश्त काबिज चले आ रहे है। जैर आराजीयात रेवेन्यू रिकॉर्ड में बद्री नाथ ने अपने नाम अमल दरामद करा लिया जिसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट नंबर 01 के पक्ष में फर्जी गोदनामा तहरीर एवं तकमील करवा दिया गया। जबकि बद्रीनाथ की मृत्यु के पश्चात् सभी किया कम अपीलांट संख्या 01 द्वारा किए गए। आराजीयात में रेस्पोडेन्ट नंबर 01 मोहन अपने पक्ष में बद्रीनाथ का दत्तक पुत्र होने का अभिकथन कर रहा है, जबकि उक्त गोदनामा प्रथमतः फर्जी है। गोद की दिनांक को रेस्पोडेन्ट संख्या 35 वर्ष का शादी शुदा एवं बाल बच्चेदार व्यक्ति था एवं कानूनन गोद लिये जाने की उम्र को पार कर चुका था। रेस्पोडेन्ट नंबर 01 मोहन को उसके पिता छोटया नाथ के विरासत का नामान्तकरण संख्या 186/10.05.18 को खुलवाकर जमीन प्राप्त की जा रही है तथा दूसरी और रेस्पोडेन्ट नंबर 01 दिनांक 24.08.2001 को बद्री नाथ का दत्तक पुत्र होने का अभिकथन कर रहा हैं। इन सभी तथ्यों पर गौर फरमाये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया जो अपास्त योग्य होने से अपास्त किया जावें, अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत गोदनामा पूर्णतया फर्जी है, बद्री नाथ की मृत्योपरांत सारे किया/रस्म अपीलार्थी द्वारा की गई तथा समस्त गावं व पंच पटेलो व जाति बिरादरी के लोगों द्वारा अपीलार्थी मदन के बद्री नाथ की पगडी बंधाई गई। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट नंबर 01 भिन्न-भिन्न पक्षकार होने एवं इनका वाद हेतुक भी भिन्न होने से प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0 में रेस ज्यूडिकैटा के आधार पर दावा वादीगण/अपीलार्थी खारिज कर अहम भूमि की है। मातहत अदालत ने जैर अपील निर्णय पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य के विपरीत विधि विरूद्व तरीके से पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है एवं वाद रेस ज्यूडिकैटा मे आता है या नहीं इस तथ्य को तनकी बनाकर निर्णित किया जाना चाहिए था। परन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अदालत मातहत द्वारा जैर आदेश बिना पक्षकारों की तलबी कराए मनमाने तरीके से पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय 08.06.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

6. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की और से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बद्रीनाथ का दत्तक पुत्र है तथा उक्त आराजीयात पैतृक संपत्ति न होकर बद्रीनाथ द्वारा स्वअर्जित संपत्ति हैं, जिस पर बद्रीनाथ के दत्तक पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मोहन के अतिरिक्त किसी अन्य का कोई हक नही बनता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को जरिये गोदनामा दत्तक पुत्र के रूप मे गोद लेना सिद्व है। बदरी के भाईयों कालू, व गोपाल पिसरान गेन्दया द्वारा पूर्व मे भी एक वाद मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बौंली के समक्ष वाद संख्या 582/01 पेश किया गया था, जिसे मातहत अदालत द्वारा दिनांक 31.03.03 को खारिज कर दिया गया था, और वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था। इस निर्णय को माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान द्वारा बहाल रखा गया था। परन्तु अपीलांट/वादी द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए अदालत मातहत को गुमराह कर पुनः इसी वादग्रस्त आराजीयात बाबत् वादपत्र पेश किया था, जिसको अदालत मातहत द्वारा सही कारण से धारा 11 सी0पी0सी0 के आधार पर खारिज किया गया। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली मे उपलब्ध अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 582/01 निर्णय दिनांक 31.03.2003 व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अपील/टी.ए./689/2004/सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 13.11.16 व अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के आलौच्य आदेश 08.06.18 मुकदमा नंबर 42/2017 का अवलोकन किया गया।

दीवानी प्रकिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

"पूर्व–न्याय– कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नही करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के, या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद बाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।"

अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बौंली के मुकदमा नंबर 582/01 दिनांक 31.03.2003 में वादी बदरी पुत्र गेंदया तथा प्रतिवादी संख्या 01 कालू पुत्र गेंदया, 02 गोपाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पुत्र गेंदया तथा 03 छोटा पुत्र गेंदया थे। उक्त वादी में वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम बाढ़ बिच्छीदौना के साबिक खसरा नंबर 16 रकबा 10 बीघा थे। उक्त निर्णय को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा अपील/टी.ए./689/2004/सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 13.11.16 को निर्णित किया गया है।

माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलांट/वादीगण कालू गोपाल पुत्रान गेंदया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राज0 खण्डपीठ जयपुर मे एस0. बी0 सिविल रिट पिटिशन 11336/2016 पेश की हुई है।

स्वयं अपीलांट द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर मे अंकित किए है कि साबिक खसरा नंबर 16 रकबा 10 बीघा के हाल खसरा नंबर 91 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 94 रकबा 2.50 है0 बने हैं परन्तु वाद कारण गोदनामा की वैधानिकता के संबंध मे तथा पक्षकारान भी अन्य होने का कथन अंकन किया है।

इस तथ्यों से यह स्पष्ट है कि (1) वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नंबर 16 संख्या 10 बीघा है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 91 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 94 रकबा 2.50 है0 बने है।

(2) मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बौंली मे प्रस्तुत वाद संख्या 582/01 मे संयोजित प्रतिवादी नंबर 01 कालू पुत्र गेंदया के वारिसान अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर मे प्रस्तुत वाद 42/2017 मे प्रतिवादी संख्या 02, 03 व 04 है। इसी से संबंधित वाद संख्या 582/01 में प्रतिवादी संख्या 02 गोपाल पुत्र गेंद्या के वारिसान तत्पश्चात् प्रस्तुत वाद 42/2017 में प्रतिवादी संख्या 05, 06 व 07 है तथा मूल वाद 582/01 में प्रतिवादी संख्या 03 कालू पुत्र गेंदया के वारिसान पश्चात्वर्ती वाद 42/2017 में वादी संख्या 01, 02 व प्रतिवादी संख्या 01 है। अर्थात् पुराना वाद 582/01 में प्रतिवादी के रूप मे संयोजित पश्चातवर्ती वाद 42/2017 में अपीलांट व रेस्पो0 है।

अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर मे पेश पत्रावली मे वादग्रस्त आाजीयात व पक्षकार दोनो ही पुराने से नए है, अर्थात वादग्रस्त आराजीयात के साबिक खसरा नंबर 16 रकबा 10 बीघा है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 91 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 94 रकबा 2.50 है0 बने है तथा पश्चातवर्ती वाद के पक्षकार पुराने वाद के वारिसान ही है।

स्पष्टीकरण 01: – " पूर्ववर्ती वाद" पद ऐसे वाद का द्योतक जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चत किया जा चुका है.....। इससे यह प्रकट है कि पक्षकारों के मध्य विवाद की विषयवस्तु साबिक आराजी खसरा नंबर 16 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम बाढ बिच्छीदौना का विनिश्चय अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बौंली के मुकदमा नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

582/01 मे किया जा चुका है। इस कारण अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 11 सी०पी०सी० का विधिक रूप से सही विवेचन कर आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

9. अत: उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट धारा 11 जाब्ता दीवानी के क्षेत्राधिकार मे होने के कारण बिना गुणावगुण की विवेचना किए ही अस्वीकार की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के मुकदमा नंबर 42/2017 बउनवान मदन वगैरह बनाम मोहन वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 को यथावत् रखा जाता है। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हों।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 17.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 17.07.23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner